

नाम पत्रा मय विभाग खण्ड में
 जिला प्रसाद एवं कस विभाग अधिनियम
 प्रमाणित

उपरोक्त खण्डों में डाला खण्ड विभाग
 खण्ड विभाग निर्देशों के अनुसार ग्राम लखारिया की
 जमीन खण्ड-209 एकड़ 1.72 हेक्टर का पसकारों की
 प्रमाणित उक्त खण्ड विभाग किया जाता है।

क्र.सं.	नाम पत्रा मय विभाग	खण्ड सं.	एकड़	दिशा
10	विश्वनाथ कुम चतुर्भुज जालि राव साठ देह	$\frac{209}{1}$	1.032	पूर्व
	जिला 1		<u>1.032 हे.</u>	<u>—</u>

11	रत्नीपत कुम गौप्राण जालि राव साठ देह	$\frac{209}{2}$	0.344	मध्य
	जिला 1		<u>0.344 हे.</u>	<u>—</u>

12	रामलक्ष्मण कुम नारणम 1/3 रेखाबाई कुम नारणम 1/3 शंभोडबाई पत्नी नारणम 1/3 जालि राव साठ देह	$\frac{209}{3}$	0.344	पश्चिम
	जिला 1		<u>0.344 हे.</u>	<u>—</u>

उक्तानुसार अंतिम डिट्टी जारी की
 जमीन में लक्ष्मी की रिकार्ड में अमल
 कराया है।

निर्दिष्ट आज दिनांक 17.3.2020 को
 मेरे द्वारा लिखाया जाता है इतना
 सुनाया गया।

(निमनलाल मीणा)
 उपस्थित

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे हस्तदर्ई

(अंडर 20, कूल 6-7, जाप्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

व इजलास चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

रामस्वकप बनाम किशान

दावा बाबत 53-188 R.T.A.L. 1955

मुकद्दमा नं. 52 सं. 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इफ्तिसाल कतई ह-व-रु चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

बहाजरी श्री शोबालाम अहील एड. मिनजानिव मुद्दई व X

मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

लक्ष्मीनदा रामगंजमण्डी डा. लक्ष्मण विमान
लक्ष्मण लीकाल किये जाऊ राम लक्ष्मण मी
भूमि खाने 209 कवा त्त 2 हंका पक्षगाली के मध्य कुल
पर अंकिल अनुसाल खाला विमान किये जाता है

चीज 4 मुवांलग 4 बाबत 4

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व सरह 4 फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख बसूलयाबी तक 4 को अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 03 2020

को जारी की गई।
 महर उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी ववा	2	1	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	1	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ	3	1			
मीजान....	6	1	मीजान ...		

नोट-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्र.सं	नाम पक्षकाल मय विवरण	ख.क्र.	रकबा	दिशा
(1)	किशाना पुत्र चतुर्भुज जालि राव साठ देह	$\frac{209}{1}$ किला 1	1.032 <u>1.032 ह.</u>	पूर्व
(2)	र-लीलाम पुत्र गौपाल जालि राव साठ देह	$\frac{209}{2}$ किला 1	0.344 <u>0.344 ह.</u>	मध्य
(3)	रामलक्ष्मण पुत्र भाद्राम हि. 1/3 रेवाबाई पुत्री भाद्राम हि. 1/3 शुजोडबाई पुत्री भाद्राम हि. 1/3 जालि राव साठ देह	$\frac{209}{3}$ किला 1	0.344 <u>0.344 ह.</u>	पश्चिम

नक्शा स लालीम की जाकर राजस्व रिफाई स
अमर राम ड ही

हृदयण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी